M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrobhopal@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

M P AGRO

160

क.मुख्या/उद्यान/2020–21/ 8852

भोपाल, दिनांक ~~06 अगस्त, 2020~~ 07/08/2020

प्रथम प्रसारण

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय :–वर्ष 2020–21 एवं आगे के लिये अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) की दरों के अनुमोदन के संबंध में ।

वर्ष 2020–21 एवं आगे के लिये अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) को निगम के माध्यम से प्रदाय किये जाने के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ.) आमंत्रित किये गये प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) की दरों का अनुमोदन जारी किया जाता है :–

क.	प्रदायककर्ता का नाम	अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) किस्म	दर प्रति कि.ग्रा. (न्यूनतम अर्थवर्मस 1000 नग प्रति कि.ग्रा.) निगम मार्जिन 5 प्रतिशत सहित एफ ओ आर विकास खण्ड स्तर तक
1.	मैसर्स हरिओम वर्मी कम्पोस्ट ग्राम जटावा, पोस्ट सरसवा, पनागर जबलपुर (म.प्र.) मोबाईल– 9300038612	Eisenia Fetida	रू. 525/–
2.	मैसर्स भोला एग्रो इण्डस्ट्रीज, एचआईजी 63, सुभाष नगर, कटनी वायपास, महाराजापुर, जबलपुर– 4 (म.प्र.) मोबाईल– 9425160392	Eisenia Fetida Eudrilus Eugini	रू. 525/–
3.	मैसर्स कृषि बायोप्रोडक्ट एण्ड रिसर्च प्रा.लि., 10/83, स्टेशन रोड, किवे कॉलोनी, राउ, इंदौर–453331 (म.प्र.) मोबाईल– 9575373000/8889999796	Eisenia Fetida Eudrilus Eugini	रू. 525/–
4.	मैसर्स अविरल बायोटेक एण्ड फर्टिलाईजर प्रा. लि., प्लॉट नं. 21–22, सेक्टर बी, इण्डिस्ट्रीयल एरिया, मण्डीदीप जिला रायसेन (म.प्र.) मोबाईल– 9926101618	Eisenia Fetida Eudrilus Eugini	रू. 525/–
5.	मैसर्स इन्टरनेशनल बायोटेक प्रोडक्ट्स 216/23, गांधी नगर, रतलाम (म.प्र.) मोबाईल– 9098890202 दूरभाष– 07412–260213	Eisenia Fetida Eudrilus Eugini	रू. 525/–

Scanned with CamScanner

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP1969SGC001055

159

उपरोक्त दरें अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) के लिये है और इन दरों में वर्तमान में कोई कर अधिरोपित नहीं किया गया है। दरें प्रति किलोग्राम के मान से अनुमोदित की गई है। प्रति किलोग्राम में 1000 नग जीवित केचुएं होना चाहिए, जिसमे से न्यूनतम 60 प्रतिशत वयस्क केचुएं होना चाहिए। प्रदायगी की शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. जिलों में प्राप्त मांग का पूर्ण विवरण जिला प्रबधंक मुख्यालय को विधिवत आदेश जारी करने के लिये प्रेषित करेंगे। मांग के साथ संबंधित विभाग से प्राप्त मांग की फोटोप्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाना होगी ।

2. प्रदाय आदेश में उल्लेखित सीमा के भीतर यदि सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो विलंब की स्थिति में सामग्री प्राप्ति हेतु संबंधित विभाग से लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरांत प्रदायगी स्वीकार की जाएगी ।

3. निगम आदेश के बिना अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) की प्रदायगी मान्य नहीं की जावेगी ।

4. अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) की प्रदायगी निम्नानुसार रहेगी :

   4.1 क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध प्रदायक द्वारा सामग्री का प्रदाय निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्राप्तकर्ता विभाग को किया जाएगा।

   4.2 प्रदायक द्वारा अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) के साथ चालान/देयक 3 प्रतियों में प्रस्तुत किये जाएगें । प्रदायक द्वारा प्रत्येक देयक के साथ इस आशय का स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा कि उत्पादित अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) तकनीक से उत्पादित है एवं देयक में वर्णित उल्लेखित किस्म के ही है।

   4.3 सामग्री प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा सामग्री की गुणवतता से संतुष्ट होने पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट संलग्न प्रारूप कमांक 1 में जारी कर जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी।

   4.4 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रबंधक द्वारा सामग्री प्राप्तकर्ता विभाग को प्रदाय की जाएगी एवं सामग्री प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा हितग्राहियों को सामग्री का वितरण कराया जाएगा। प्रदायगी के 30 दिवस के अन्दर प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा संतुष्टी रिपोर्ट संलग्न प्रारूप कमांक 2 में जारी की जाएगी।

5. प्रदायक द्वारा पैकेज आफ प्रेक्टिस पठनीय हिन्दी भाषा में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाएगें ।

6. अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) की गुणवत्ता से संबंधी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जायेगा एवं यदि हितग्राहियों को अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) की गुणवत्ता से हानि होती है तो नियमानुसार उसकी भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जाना आवश्यक होगी।

7. प्रदायित अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) का भुगतान पश्चात भुगतान (अर्थात निगम को संबंधित विभाग से भुगतान प्राप्त होने के उपरांत) के आधार पर जिला कार्यालय द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा ।

Scanned with CamScanner

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP1969SGC001055

M P AGRO

158

अ. 80 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रदायित अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं 2 प्रतियों में निगम के जिला प्रबंधक द्वारा सत्यापित देयक प्राप्त होने के 30 दिवस में किया जायेगा ।

ब. संतुष्टी रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में भौतिक सत्यापन के 60 दिवस की अवधि में प्राप्तकर्ता विभाग से कोई शिकायत प्राप्त नही होती है तो जिला प्रबंधक इस आशय की जानकारी मुख्यालय को पत्र से प्रेषित करेगे तथा जिला प्रबंधक से प्राप्त पत्र के आधार पर प्रदायक को देय शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।

8. क्षेत्रीय/जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर बाजार जाकर सुनिश्चित करें कि निगम द्वारा अनुमोदित अर्थवर्मस (जीवित केचुएं) का विक्रय स्थानीय बाजार में निगम द्वारा अनुमोदित दर से कम पर तो नहीं किया जा रहा है ।

9. इस पत्र के माध्यम से जो दरे अनुमोदित की गई है वह निगम द्वारा जारी आदेशों के विरूद्ध निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्रदाय हेतु लागू रहेगी तथा इन्हें किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये दरों का अनुमोदन न माना जाए। यदि कोई विपरित स्थिति निर्मित होती है तो निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नही रहेगा।

प्रदायगी की शेष शर्ते निष्पादित अनुबंध एवं आरसीओ के अनुसार यथावत रहेंगी। आर सी ओ की प्रति निगम की वेबसाईट से डाउनलोड कर रिकार्ड में सुरक्षित रखे।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

प्रतिलिपिः– 8853
07-8-2020

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त , संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. महाप्रबंधक लेखा, निगम मुख्यालय, भोपाल
4. मैसर्स ....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

Scanned with CamScanner